न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 41/2020 रा.वा.

उनवान

1. श्री केरिंग पिता होमा मुतबना मेगा मीणा उम्र बालिग निवारी बस्सी जोयरा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादी

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
2. श्री कालुलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
3. श्री शांतिलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
   सभी निवासीयान बस्सी जोयरा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 24/09/2024

उपस्थितिः श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता—वादी
श्री महेन्द्र चौहान— प्रतिवादी संख्या 1 से 3

वादी के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगणों के खानदान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे दर्शित है। उक्त सजरे में वर्णित मेघा पिता लाला का स्वर्गवास हो चुका है उनके खातेदारी काश्तकारी भूमि मौजा बस्सी जोयरा में आराजी नम्बर 413 रकबा 1.10 हैक्टेयर स्थित है। स्व. मेघा पिता लाला मीणा निवासी बस्सी जोयरा ने तथा उनकी पत्नी ने अपने जीवन काल में वादी को उसके बचपन में करीब 6—7 वर्ष की उम्र में गोद ले लिया था चुंकि उनके कोई सन्तान नही थी और वादीगण उनके ही परिवार का सदस्य है जो, परिवार में भाई का लडका लगता है जिस कारण स्व. मेघा ने अपने जीवन काल में दिनांक 29—09—1990 को ही एक लिखापढी वादी के पक्ष में निष्पादित कर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक व स्वामी वादी को घोषित किया एवं वादी के बाल्यकाल में ही सम्पूर्ण गोद की रस्में पुरी करते हुये स्व. मेघा व उनकी पत्नी ने तथा होमा व उनकी पत्नी ने मिलकर जाति समाज व पंचो के बीच में केरिंग को होमा की गोद मे उठाकर मेघा की गोद में रखा और गुड धनिया बांटकर अपना गोदपुत्र बनाया एवं वर्तमान में वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में केरिंग पिता मेघा का नाम दर्ज है परन्तु सेवन से अभी तक स्व. मेघा की खातेदारी भूमि मे वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है एवं वादी के शेष भाईयो रूपलाल, कालुलाल व शान्तिलाल को भी इस बावत् कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आवश्यक पक्षकार एवं पैतृक सम्पत्ति होने से उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। जिससे वादी मेघा पिता लाला की वादग्रस्त कृषि आराजीयात 413 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित कराये जाने यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वाद हेतुक सर्वप्रथम दिनांक 21—07—2020 को उत्पन्न हुआ जब राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तब पता चला कि वादग्रस्त भूमि मेघा पिता लाला के नाम दर्ज है। अतः निवेदन है कि वादपत्र की क्रम संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात का वादी को एकमात्र खोतदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र की प्रति के साथ जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनाम एवं जवाब पेश कर वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंकित किया कि स्व. मेघा पिता लाला के वहा वादी केरिंग मीणा बाल्यकाल से ही गोद चला गया मेघा के कोई पुत्र–पुत्री सन्तान नही होने से बाल्य अवस्था मे ही गोद स्व. मेघा व उनकी पत्नी ने रखा था उस दिन से उसकी सम्पत्ति पर काबिज हो काश्त कर रहा है वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि वादी के पास ही है जिसे वादी के नाम करने पर हम प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज नही है न ही हमारा उक्त वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति मे कोई हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी के पिता जीवित है जिनको भी वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादी के नाम होने से कोई आपत्ति नही है। अतः निवेदन है कि वादी के वादपत्र को स्वीकार फरमाया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में निम्न गवाह पी.डब्ल्यु. 1 केरिंग वादी स्वयं, पी.डब्ल्यु 2 देवीलाल पिता कालु मीणा, पी.डब्ल्यु. 3 रोडा पिता गोमा मीण के शपथ पत्र पेश किये तथा वाद पत्र की पुष्ठी मे निम्न दस्तावेजी सबूत प्रदर्श 1–जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 164 की नकल, प्रदर्श 2ए–खाता डायरी की नकल, प्रदर्श 3ए –परिवार राशन कार्ड की नक़ल, प्रदर्श 4ए – परिवार राशन कार्ड की नकल, प्रदर्श 5ए – आधार कार्ड की नकल पेश किये। प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहा अतः साक्ष्य प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली मे बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस वादपत्र एवं जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्यों एवं गवाहन के बायानो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वादी ने स्वयं को मेघा पिता लाला का गोदपुत्र बता कर आराजी नम्बर 413 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का दावा पेश किया है। वादी अपने आप को गोदपुत्र साबित करने हेतु गवाह पी.डब्ल्यू. 1 से 3 तक शपथ पत्र पेश किये जिन्होने केरिंग को मेघा पिता लाला का गोद माना है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने भी अपने जवाब दावे मे वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। इसके अलावा वादी प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2ए से 5ए पेश किये तथा दिनांक 24–04–2011 का अनरजिस्टर्ड इकरार–नामा पत्रावली पर पेश किया है जिसे वादी ने प्रदर्शित नही कराया है, इसलिये इसे नही पढा जायेगा। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस दस्तावेज वादी ने पेश नही किया है जिससे वादी गोदपुत्र साबित हो। केवल मौखित साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद साबित नही होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 भू–राजस्व अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 41 / 2020 रा.वा.

उनवान

1. श्री केरिंग पिता होमा मुतबना मेगा मीणा उम्र बालिग निवासी बरसी जोयरा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादी

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
2. श्री कालुलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
3. श्री शांतिलाल पिता होमा मीणा उम्र बालिग
   सभी निवासीयान बरसी जोयरा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री प्रकाश कुमार चौबिसा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से एडवोकेट श्री महेन्द्रसिंह चौहान की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं किः– वादी का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। ।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 24-09-24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर / उपखण्ड अधिकारी
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	2	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	00	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	09	—	योग	02	—

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर / सलूम्बर
जिला सलूम्बर